

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

123

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांक क्र्य सी.जे.एम. / 2021

बैतूल, दिनांक—16—05—2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल के विविध आदेश क्रमांक—109 / दो—12—11 / 2014 बैतूल, दिनांक' 16—05—2021 के पालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारियों द्वारा अत्यावश्यक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में दिनांक 17—05—2021 से दिनांक 23—05—2021 तक के लिये मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल निम्न आदेश पारित करती हूँ:-

01. निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केवल क्षी०सी० के माध्यम से दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय में अपने कर्मचारियों की केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करें।

मुख्यालय:—बैतूल

| सरल क्र० | दिनांक | अत्यावश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी |
|----------|----------|--|
| 1 | 17.05.21 | श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 2 | 18.05.21 | सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 3 | 19.05.21 | सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री दीनानाथ वाडीवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 4 | 20.05.21 | श्री कौस्तुभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 5 | 21.05.21 | श्री कौस्तुभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 6 | 22.05.21 | श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री कौस्तुभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |
| 7 | 23.05.21 | श्री अजय उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल। किसी कारणवश उनकी अनुपस्थिति में श्री कौस्तुभ खेड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। |

तहसील:—मुलताई

| सरल क्र० | दिनांक | अत्यावश्यक कार्य के लिये उपस्थित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी |
|----------|---------------------------------|--|
| 1 | दि. 17.05.21 से दि. 23.05.21 तक | श्री दीपेन्द्र मालू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई। |

तहसीलः—आमला

| | | |
|----------|---------------------------------|---|
| सरल क्र० | दिनांक | अत्वाशयक कार्य के लिये उपरिथित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला द्वारा रिगाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी। |
| 1 | दि. 17.05.21 से दि. 23.05.21 तक | श्री नानसिंह ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला। |

तहसीलः—भैंसदेही

| | | |
|----------|---------------------------------|---|
| सरल क्र० | दिनांक | अत्वाशयक कार्य के लिये उपरिथित रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही द्वारा रिगाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी। |
| 1 | दि. 17.05.21 से दि. 23.05.21 तक | श्रीमती मंजूषा तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही। |

02. तहसील मुख्यालय—मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपरिथिति की दशा में कार्यालयीन विविध आदेश क्र०—1020/2-22-1/94 बैतूल दिनांक 07-05-21 में संलग्न परिशिष्ट—अ के अनुसार आवश्यक कार्य/रिगाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
03. पक्षकारारगण/अभिभाषकगण जमानत आवेदन/सुपुर्दगी आवेदन एवं अर्जेन्ट प्रकृति के आवेदन पत्र ई—मेल के माध्यम से ई—मेल आई.डी. ecourtbetul@gmail.com पर प्रेषित कर सकेंगे और जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमोल बाकरे, ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष ई—मेल से प्रेषित करेंगे। ई—मेल करने अथवा ही ० सी० के माध्यम से सुनवाई होने में कोई समस्या उत्पन्न होने पर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अमोल बाकरे के मोबाईल नंबर—90749—59968 पर तथा सिस्टम असिस्टेंट श्री अजय विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर—98060—02600 पर संपर्क करें।

अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)
बैतूल, दिनांक— 16.05.2021

पृष्ठा. क्रमांक—१२३ सी.जे.एम. / 2021

प्रतिलिपि :—

- (1) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- (2) श्री दीनानाथ वाडीवा, जिला रजिस्ट्रार बैतूल।
- (3) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला श्रीमती मंजूषा तेकाम/श्री नानसिंह ताहेड़।
- (4) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
- (5) सुश्री पूर्वी तिवारी/श्री दीपेन्द्र मालू/श्री कौस्तुभ खेड़ा/श्री अजय उइके।
- (6) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) लोक अभियोजक/अति. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (8) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/असिस्टेंट सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए. बैतूल की ओर उक्त विविध आदेश की प्रति संबंधितों की मेल आई.डी. पर प्रेषित किये जाने हेतु।

अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)